न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग), पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री राधेश्याम (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्याः– 2/2020

जी.सी.एम.एस. संख्याः– 2020/00032

वादीः–

1. पूनाराम पुत्र श्री गोपाराम उम्र 75 वर्ष जाति कुमावत निवासी बिरोल तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जैतारण जिला पाली राजस्थान

उपस्थितिः–

1. श्री श्याम सिंह सोलंकी, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री सुरेन्द्र सिंह लाबाना, राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी ।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 144 व्यवहार प्रक्रिया संहिता

–:निर्णयः– दिनांक 8.4.2021

1. प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम सोमावास पटवार हल्का जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली की सरहद में कृषि भूमि खसरा नंबर 24 रकबा 508 बीघा 8 बिस्वा किस्म बारानी दोयम सहित अन्य कृषि भूमि खातेदार दौलतमल वल्द गणेशमल कौम महाजन साकिन जैतारण की आयी हुई है। दौलतमल पुत्र गणेशमल महाजन ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख अपने खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 24 रकबा 508 बीघा 08 बिस्वा में से 150 बीघा 11 बिस्वा कृषि भूमि पूनाराम पुत्र गोपाराम 1/2 हिस्सा बुधाराम पुत्र पेमाराम का 1/2 बराबर बराबर हिस्सा के नाम को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 21.06.1966 को बेचान कर दिया। जिसमें जिसका नामान्तरण संख्या 51/66–67 दिनांक 31.08.1966 को बुधा पुत्र पेमा व पूना पुत्र गोपा के नाम इन्द्राज हो गया तथा जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 में अमद दरामद किया गया। तब से उक्त भूमि पर प्रार्थी का काश्त चला आ रहा है। तथा उपरोक्त कृषि भूमि के अमल दरामद बाद खसरा संख्या 24/130 दर्ज किये गये। जिसमें उक्त कृषि भूमि की विशिष्टिया हेतु पास बुक तैयार की गई है जो जमाबंदी संवत् 2048 से 2051 में दर्ज हैं। खातेदार दौलतमल पुत्र गणेशमल के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी जैतारण ने सिलिंग कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये सिलिंग प्रकरण संख्या 07/69 पुराना कानून के तहत दर्ज करते हुए अपने आदेश दिनांक 09.04.1971 के खातेदार दौलतमल के पास सिलिंग/सीमा से कम भूमि होना मानते हुये सिलिंग प्रकरणों को समाप्त करने का आदेश प्रदान कर दिया। तत्पश्चात् राज्य सरकार की जानकारी में उक्त निर्णय लाये जाने पर राज्य सरकार ने अपने आदेश दिनांक 23.10.1981 से उक्त प्रकरणों को भी रिऑपन करते हुये पुनः निर्णय हेतु अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली को प्रकरण प्रेषित किये गये। श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली द्वारा उक्त प्रकरण को रिऑपन आदेश की पालना में खातेदार दौलतराम के विरूद्ध प्रकरणों को दर्ज रजिस्टर्ड कर सुनवाई की। तत्पश्चात् उक्त प्रकरण में श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर सिलिंग पाली द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28.07.1996 के द्वारा खातेदार दौलतराम के पास कुल 284–5 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि होना मानते हुए उसको 30 स्टेण्ड एकड़ भूमि रखने का अधिकारी मानते हुये शेष 254 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि अधिकृत करने का आदेश प्रदान किये। जिस की पालना मे अप्रार्थी द्वारा नामान्तरण संख्या 150 दिनांक 02.08.1996 के अनुसार खातेदार दौलतमल के नाम दर्ज कृषि भूमि सहित प्रार्थी की खसरा नंबर 24/130 की कृषि भूमि को भी राज्य सरकार के नाम दर्ज की गई। तत्पश्चात् श्रीमान जिला कलेक्टर सिलिंग पाली के निर्णय दिनांक 25.07.1996 के

अति. जिला कलेक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

विरूद्ध खातेदारों ने राजस्व अपीले 94/98 व 95/98 राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की। जिस पर माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 07.09.1998 के द्वारा अपीले स्वीकार की जाकर श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर सिलिंग पाली के निर्णय दिनांक 25.07.1996 को निरस्त करते हुये प्रकरण पुनः निर्णय हेतु श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर सिलिंग पाली को प्रति प्रेषित किया गया। जिस पर श्रीमान न्यायालय ने प्रकरण को दर्ज रजिस्टर्ड करते हुये अपने निर्णय दिनांक 20.07.2007 के द्वरा रेस्पोडेण्ट खातेदार के पास सिलिंग सीमा से कम की आराजी होना मानते हुये सिलिंग प्रकरण को समाप्त करने का आदेश प्रदान किया। जिसके विरूद्ध श्रीमान राजस्व मण्डल अजमेर में सिलिंग अपील 8589/2007 राजस्थान सरकार के द्वारा प्रस्तुत की गई। जिसको श्रीमान राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 05.07.2017 को खारिज कर दि गई। जिसके विरूद्ध आज दिन तक राज्य सरकार ने किसी भी उच्चोतम न्यायालय में कोई चाराजोही नही की है इस प्रकार उपरोक्त राजस्व मण्डल अजमेर का निर्णय दिनांक 05.07.2017 व अतिरिक्त जिला कलक्टर (सिलिंग) पाली का निर्णय दिनांक 20.07.2007 अंतिम हो चुका है। जिसके अनुसार खातेदार दौलतराम व अन्य के पास सिलिंग सीमा से कम आराजी मानते हुये सिलिंग प्रकरण को समाप्त कर दिया गया।

जब खातेदार दौलतराम के पास उपरोक्त नियमानुसार सिलिंग सीमा से कम भूमि मानते हुये सिलिंग प्रकरण को समाप्त कर दिया गया। ऐसी स्थिति में उपरोक्त सिलिंग प्रकरणों के दौरान खातेदार दौलतमल से खसरा नंबर 24 रकबा 508 बीघा 08 बिस्वा में से 150 बीघा 11 बिस्वा भूमि प्रार्थी द्वारा खरीद की गई कृषि भूमि को नामान्तरण संख्या 150 दिनांक 02.08.1996 के तहत राज्य सरकार के नाम दर्ज की गई थी। उपरोक्त सिलिंग प्रकरणों के निस्तारण के पश्चात् प्रार्थी के द्वारा खरीद की गयी है कृषि भूमि को सिलिंग प्रभावित नही माना है तथा इस कारण से गलत तरीके से अप्रार्थीगण ने उपरोक्त कृषि भूमि खसरा नंबर 24/130 रकबा 150 बीघा 11 बिस्वा राज्य सरकार के नाम दर्ज किया गया है जिसको पुनः प्रार्थी के नाम दर्ज किये जाना कानूनी आवश्यक व न्याय संगत है मेरे पिताजी गोपाराम जी व बुधाराम के पिताजी पेमाराम ने विक्रेता श्री दौलतमल पुत्र गणेशमल से 21.06.1966 को खरीदी थी जिसमें मेरे व बुधराम के नाम रजिस्ट्री करवायी थी। उस समय हम संयुक्त परिवार में रहते थे परिवार के बड़ा होने के नाते मेरे नाम से मेरे पिता जी ने रजिस्ट्री करवायी थी। उस समय मेरी अलग से आय नही थी तथा मैं प्रार्थी बुढा हूं मेरी जीवन का भरोसा नही है मेरे जीवन में मैं प्रार्थी इस जमीन को हम तीनों भाइयों के नाम बराबर बराबर हिस्सेदारी में अमल दरामद करवाना चाहता हूं परन्तु अभी यह जमीन राज्य सरकार के खाते में है। जिसे तुरन्त मेरे खाते में दर्ज किये जाने की आवश्यकता है ताकि मैं इस जमीन को तीनो भाई के नाम करवा सकू। यह जमीन खसरा नंबर 24/130 रकबा 150 बीघा 11 बिस्वा में मेरा व बुधाराम का बराबर बराबर हिस्सा अर्थात् 75 बीघा 05 बिस्वा जमीन है किन्तु हमे तीन भाई है पूनाराम, मोहनलाल व रतनलाल हम तीनो वर्तमान में अलग अलग 25 बीघा 02 बिस्वा– 25 बीघा 02 बिस्वा पर काश्त करते है व कब्ज में है। अतः मौजा ग्राम सोमावास पटवार हल्का जैतारण तहसील जैतारण के खसरा नंबर 24/130 की कृषि भूमि के बाबत आप श्रीमान द्वारा दिनांक 25.07.1996 को पारित निर्णय से पूर्व स्थिति बहाल कराते हुये प्रार्थी के नाम उक्त भूमि पूर्ववत दर्ज किये जाने के आदेश फरमावें। व भूमि का नामान्तरण प्रार्थी के नाम भरे जाने का आदेश फरमावें।

2. प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

3. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नही कर सीधे बहस हेतू निवेदन किया गया।

4. जिस पर बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

5. बहस के द्वौरान प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपने आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा ग्राम सोमावास पटवार हल्का जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली की

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

सरहद में कृषि भूमि खसरा नंबर 24 रकबा 508 बीघा 8 बिस्वा किस्म बारानी दोयम सहित अन्य कृषि भूमि खातेदार दौलतमल वल्द गणेशमल कौम महाजन साकिन जैतारण की आयी हुई है। दौलतमल पुत्र गणेशमल महाजन ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख अपने खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 24 रकबा 508 बीघा 08 बिस्वा में से 150 बीघा 11 बिस्वा कृषि भूमि पूनाराम पुत्र गोपाराम 1/2 हिस्सा बुधाराम पुत्र पेमाराम का 1/2 बराबर बराबर हिस्सा के नाम को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 21.06.1966 को बैचान कर दिया। जिसमें जिसका नामान्तरण संख्या 51/66–67 दिनांक 31.08.1966 को बुधा पुत्र पेमा व पूना पुत्र गोपा के नाम इन्द्राज हो गया तथा जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 में अमल दरामद किया गया। तब से उक्त भूमि पर प्रार्थी का काश्त चला आ रहा है। उपरोक्त कृषि भूमि के अमल दरामद बाद खसरा संख्या 24/130 दर्ज किये गये। जिसमें उक्त कृषि भूमि की विशिष्टिया हेतू पास बुक तैयार की गई है जो जमाबंदी संवत् 2048 से 2051 में दर्ज हैं। खातेदार दौलतमल पुत्र गणेशमल के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी जैतारण ने सिलिंग कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये सिलिंग प्रकरण संख्या 07/69 पुराना कानून के तहत दर्ज करते हुए अपने आदेश दिनांक 09.04.1971 के खातेदार दौलतमल के पास सिलिंग/सीमा से कम भूमि होना मानते हुये सिलिंग प्रकरणों को समाप्त करने का आदेश प्रदान कर दिया। तत्पश्चात् राज्य सरकार की जानकारी में उक्त निर्णय लाये जाने पर राज्य सरकार ने अपने आदेश दिनांक 23.10.1981 से उक्त प्रकरणों को भी रिऑपन करते हुये पुनः निर्णय हेतु अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली को प्रकरण प्रेषित किये गये। श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली द्वारा उक्त प्रकरण को रिऑपन आदेश की पालना में खातेदार दौलतराम के विरूद्ध प्रकरणों को दर्ज रजिस्टर्ड कर सुनवाई की। तत्पश्चात् उक्त प्रकरण में श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर सिलिंग पाली द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28.07.1996 के द्वारा खातेदार दौलतराम के पास कुल 284–5 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि होना मानते हुऐ उसको 30 स्टेण्र्ड एकड़ भूमि रखने का अधिकारी मानते हुये शेष 254 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि अधिकृत करने का आदेश प्रदान किये। जिस की पालना मे अप्रार्थी द्वारा नामान्तरण संख्या 150 दिनांक 02.08.1996 के अनुसार खातेदार दौलतमल के नाम दर्ज कृषि भूमि सहित प्रार्थी की खसरा नंबर 24/130 की कृषि भूमि को भी राज्य सरकार के नाम दर्ज की गई। तत्पश्चात् श्रीमान जिला कलेक्टर सिलिंग पाली के निर्णय दिनांक 25.07.1996 के विरूद्ध खातेदारों ने राजस्व अपीले 94/98 व 95/98 राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की। जिस पर माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 07.09.1998 के द्वारा अपीले स्वीकार की जाकर श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर सिलिंग पाली के निर्णय दिनांक 25.07.1996 को निरस्त करते हुये प्रकरण पुनः निर्णय हेतु श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर सिलिंग पाली को प्रति प्रेषित किया गया। जिस पर श्रीमान न्यायालय ने प्रकरण को दर्ज रजिस्टर्ड करते हुये अपने निर्णय दिनांक 20.07.2007 के द्वारा रेस्पोडेण्ट खातेदार के पास सिलिंग सीमा से कम की आराजी होना मानते हुये सिलिंग प्रकरण को समाप्त करने का आदेश प्रदान किया। जिसके विरूद्ध श्रीमान राजस्व मण्डल अजमेर में सिलिंग अपील 8589/2007 राजस्थान सरकार के द्वारा प्रस्तुत की गई। जिसको श्रीमान राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 05.07.2017 को खारिज कर दि गई। जिसके विरूद्ध आज दिन तक राज्य सरकार ने किसी भी उच्चोतम न्यायालय में कोई चाराजोही नही की है इस प्रकार उपरोक्त राजस्व मण्डल अजमेर का निर्णय दिनांक 05.07.2017 व अतिरिक्त जिला कलक्टर (सिलिंग) पाली का निर्णय दिनांक 20.07.2007 अंतिम हो चुका है। जिसके अनुसार खातेदार दौलतराम व अन्य के पास सिलिंग सीमा से कम आराजी मानते हुये सिंलिग प्रकरण को समाप्त कर दिया गया। जब खातेदार दौलतराम के पास उपरोक्त नियमानुसार सिलिंग सीमा से कम भूमि मानते हुये सिलिंग प्रकरण को समाप्त कर दिया गया। ऐसी स्थिति में उपरोक्त सिलिंग प्रकरणों के दौरान खातेदार दौलतमल से खसरा नंबर 24 रकबा 508 बीघा 08 बिस्वा में से 150 बीघा 11 बिस्वा भूमि प्रार्थी द्वारा खरीद की गई कृषि भूमि को नामान्तरण संख्या 150 दिनांक 02.08.1996 के तहत राज्य सरकार के नाम दर्ज की गई थी। उपरोक्त सिलिंग प्रकरणों के निस्तारण के पश्चात् प्रार्थी के द्वारा खरीद की गयी है कृषि भूमि को सिलिंग प्रभावित नही माना है तथा इस कारण से गलत तरीके से अप्रार्थी ने उपरोक्त कृषि भूमि खसरा नंबर 24/130 रकबा 150 बीघा 11 बिस्वा राज्य सरकार के नाम दर्ज किया गया

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

है जिसको पुनः प्रार्थी के नाम दर्ज किये जाना कानूनी आवश्यक व न्याय संगत है मेरे पिताजी गोपाराम जी व बुधाराम के पिताजी पेमाराम ने विक्रेता श्री दौलतमल पुत्र गणेशमल से 21.06.1966 को खरीदी थी जिसमें मेरे व बुधराम के नाम रजिस्ट्री करवायी थी। उस समय हम संयुक्त परिवार मे रहते थे परिवार के बड़ा होने के नाते मेरे नाम से मेरे पिता जी ने रजिस्ट्री करवायी थी। प्रतिफल के रूपये मेरे पिताजी ने ही दिये थे। उस समय मेरी अलग से आय नही थी तथा मैं प्रार्थी बुढा हूं मेरी जीवन का भरोसा नही है मेरे जीवन में मैं प्रार्थी इस जमीन को हम तीनों भाइयों के नाम बराबर बराबर हिस्सेदारी में अमल दरामद करवाना चाहता हूं परन्तु अभी यह जमीन राज्य सरकार के खाते में है। जिसे तुरन्त मेरे खाते में दर्ज किये जाने की आवश्यकता है ताकि मैं इस जमीन को तीनो भाई के नाम करवा सकू। यह जमीन खसरा नंबर 24/130 रकबा 150 बीघा 11 बिस्वा में मेरा व बुधाराम का बराबर बराबर हिस्सा अर्थात् 75 बीघा 05 बिस्वा जमीन है किन्तु हमे तीन भाई है पूनाराम, मोहनलाल व रतनलाल हम तीनो वर्तमान में अलग अलग 25 बीघा 02 बिस्वा– 25 बीघा 02 बिस्वा पर काश्त करते है व कब्ज में है। अतः मौजा ग्राम सोमावास पटवार हल्का जैतारण तहसील जैतारण के खसरा नंबर 24/130 की कृषि भूमि के बाबत आप श्रीमान द्वारा दिनांक 25.07.1996 को पारित निर्णयं से पूर्व स्थिति बहाल कराते हुये प्रार्थी के नाम उक्त भूमि पूर्ववत दर्ज किये जाने के आदेश फरमावें।

6. राजकीय अधिवक्ता ने अपने बहस में जाहिर किया कि प्रार्थीगण उपरोक्त सीलिंग कार्यवाही में पक्षकार नहीं है। विधिक रूप से वही व्यक्ति आवेदन कर सकता है, जो उपरोक्त सीलिंग कार्यवाही के प्रकरणों में पक्षकार रहा है। इस कारण से आवेदन विधिक रूप से पोषणीय नही है। प्रार्थी द्वारा जिस विक्रय पत्र के आधार पर भूमि खरीद करना बताया जा रहा है। उक्त विक्रय पत्र को विधिक रूप से मान्यता दिये जाने के संबंध मे कोई दस्तावेज पेश नहीं किये, इसलिए आवेदन खारिज योग्य है।

7. दोनो पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरोक्त प्रकरण में वर्णित सीलिंग कार्यवाही सरकार और दौलतमल के बीच में चली थी, जिसमें अलग अलग समय से अलग अलग निर्णय पारित किये गये। उपरोक्त सिलिंग कार्यवाही में उक्त प्रकरण में वर्णित विक्रय पत्र को मान्यता दी गई हो, ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थी की ओर से पत्रावली में पेश नहीं किया गया है, साथ ही उपरोक्त सिलिंग कार्यवाही में प्रार्थी किसी भी न्यायालय में पक्षकार नहीं रहे हैं। विधिक रूप से धारा 144 के तहत् आवेदन वही व्यक्ति कर सकता है, जो उस कार्यवाही एवं मुकदमें में पक्षकार रहा हो। इस कारण से उपरोक्त प्रार्थी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है और आवेदन खारिज योग्य हैं।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 144 सीपीसी खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

यह निर्णय आज दिनांक 8.4.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)